वर्ष 2019-20

शुमारी का मास	वेतन, अवकाश वेतन की सम्पत्ति अवधि	[illegible] संख्या [illegible] दिनांक	[illegible] (रु०)	[illegible] की राशि का योग जिसमेंकटौती सम्मिलित नहीं की गई हो	लेखा संख्यक
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	03/2019	24/06/2019	175392-00	6000-00	0004
मई	04/2019	16/06/2019	264283	6000	"
जून	05/2019	16/06/2019	264283	6000	"
जुलाई	06/2019	24/3/7/19	132168	6000	"
अगस्त	07/2019	21/08/19	135661	6000	"
सितम्बर	08/2019	07/9/19	135661	6000	
अक्टूबर	09/2019	04/30/9/19	135661	6000	
नवम्बर	10/2019	05/22/10/19	135661	6000	
दिसम्बर	11/2019	31/29/11/19	141554	6000	"
जनवरी	12/2019	02/01/01/20	141554	6000	"
फरवरी	01/2020	22/3/2020	101554	6000	
मार्च	02/2020	27/4/20	145953	6000	
योग					

योग

वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि निधि से लिये गये अग्रिमों के ब्यौरे :-

स्वीकृति आदेश संख्या और दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रु०)	अस्थाई अग्रिम अथवा अन्तिम निष्कासन (रु०)	कोषागार उच्च संख्या एवं दिनांक	लेखा संख्यक	वसूली प्रारम्भ होने की तिथि	वसूली प्रारम्भ होने का दिनांक	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8
04/2019	311879	27-1			04/2019 से	02/2020	

आहरण एवं वितरण अधिकारी / अपर जिला न्यायाधीश
ठौप अधिकारिक न्यायालय
गिरोलाबाद

कोषाधिकारी
गोरखपुर

LJU/23632 31

सामान्य भविष्य निधि में कटौती						
अभिदान (रु०)	अग्रिम की वापसी (रु०)	योग (रु०)	[illegible] (रु०)	[illegible] (रु०)	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर	कर्मचारी
7	8	9	10	11	12	13
6000-00	—	6000-00		03/2019 से अग्रिम निकाला		
6000	—	6000				
6000	—	6000				
6000	—	6000				
6000	—	6000				
6000	—	6000				
6000	—	6000				
6000	—	6000				
6000	—	6000		04/2019 से		
6000	—	6000		02/2020 तक		
6000	—	6000		311879/- रुपये		
6000	—	6000				
72000		72000				

For District Judge, Gorakhpur

कोषाधिकारी

पिछले वर्ष/वर्षों में समायोजित धनराशि का विवरण

वर्ष

वर्ष

वर्ष

वर्ष

योग

ब्याज

सत्यापित

कुल योग

Drawing & Disbursing Officer
Civil Court, Gorakhpur

[illegible] लेखा-शीर्ष की व्ययोपरि रु०

(1) वर्ष का अभिदान

(2) अग्रिम की वापसी

(3) चालू वर्ष का ब्याज

(4) प्रोत्साहन बोनस

योग

(5) पिछले वर्ष/वर्षों की असमायोजित धनराशि

योग

घटाइये—

(1) वर्ष के दौरान लिये गये अस्थायी अग्रिम एवं अन्तिम निष्कासन

अन्तिम अवशेष